

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2023

विषय:- वर्ष 2023 में पेयजल से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, झांसी के पत्र संख्या-62/मु०रा०आ०-03(13)/द०आ०/2022-23, दिनांक 14 जुलाई, 2023 एवं पत्र संख्या-96/मु०रा०आ०-03(13)/द०आ०/2023-24, दिनांक 24 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2023 में पेयजल से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से रु० 193.43 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023 में पेयजल से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि रु० 193.43 लाख (रूपये एक करोड़ तिरानवे लाख तितालिस हजार मात्र) राज्य आपदा मोचक निधि से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, झांसी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011 दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे सम्बन्धित के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक

व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 1,93,43,000/- (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख तितालिस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक 2245058000601 सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

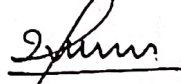
(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या-1314(1)/एक-10-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से


(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव
५

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-04/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1314
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1314
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
01 - सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	झॉसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	19343000 19343000	19343000 19343000
	योग	वर्तमान प्रगामी	19343000 19343000	19343000 19343000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरानवे लाख तियालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरानवे लाख तियालीस हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन